भारतीय महिलाओं की सामाजिक समस्याएं

डॉ0 केशरी नन्दन मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)
पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय पी.जी. कालेज, सैदाबाद इलाहाबाद

सारांश
महिलाओं को काम पर कई तरह के मनोवैज्ञानिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जो पुरुष सहकर्मियों और पुरुष नियोक्ता के कारण होते हैं। अधिकांश कामकाजी महिलाएं यौन उत्पीड़न और हमले का शिकार होती हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोज़मर्रा की हिंसा का एक रूप है जो भेदभावपूर्ण, शोषणकारी है और भय, दहशत और प्रतिशोध के माहौल में पनपती है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों की अक्सर उपेक्षा की जाती है, और बड़े बच्चों में धूम्रपान, शराब पीने और यहां तक कि नशीली दवाओं की लत जैसी अस्वास्थ्यकर आदतें विकसित हो सकती हैं। नतीजतन, मां की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। हमारा समाज अभी भी पुरुषों द्वारा नियंत्रित है, और महिलाओं को व्यापक और खुले भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण महिलाओं को उनके सामाजिक और घरेलू अधिकारों के साथ-साथ पारिवारिक सहायता से भी वंचित किया जाता है। हमारे लोगों की संकीर्ण मानसिकता के कारण, उनके साथ अभी भी दुर्व्यवहार, शोषण, वंचित, यौन उत्पीड़न और अपमान किया जाता है, और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है।
एक घर में, एक महिला को एक निर्दोष "रसोइया" और एक "आदर्श पत्नी" माना जाता है, जो बिना किसी शिकायत या शादी में एक समान साथी के रूप में विशेष उपचार की अपेक्षा किए बिना घर पर पति की सभी जरूरतों का ख्याल रखती है। उनसे बच्चों की देखभाल के साथ-साथ एक बेहतर गृह प्रबंधक और प्रशासक के द्वारा एक अच्छी माँ की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है।
मुख्य शब्द: मनोवैज्ञानिक, शोषण, वंचित, यौन उत्पीड़न, धूम्रपान, सामाजिक

प्रस्तावना
महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विशेष रूप से डॉ भीमराव अंबेडकर ने हाशिये से निकली महिलाओं को सत्ता संरचना की मुख्यधारा में लाने, उन्हें उनके वास्तविक और समान अधिकार देने और उनके अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्थक प्रयास किए। ऐसा करने में सफल रहे; लेकिन यह भी वर्तमान समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी महिलाएं सामाजिक संरचना के विभिन्न क्षेत्रों और आयामों में पुरुषों के समान अधिकार, शक्ति, शक्ति और धन प्राप्त करने में विफल रही हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच व्याप्त इन असमानताओं को उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महिलाओं की वास्तविक स्थिति और स्थिति उनकी स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतकों में जैसे काम में भागीदारी, आर्थिक उत्पादन में भागीदारी, साक्षरता दर, राजनीतिक भागीदारी, धन का हिस्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का स्तर, परिवार और उनके जीवन के बारे में उनकी निर्णय लेने की क्षमता आदि। गहन जाँच-पड़ताल के बाद इसे समझा और स्पष्ट किया जा सकता है।

भारतीय समाज और लिंग रूढ़ियाँ
पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत यह विचारधारा प्रचलित है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं और महिलाओं को पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। अन्य व्यवस्थाओं की तरह पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में भी सामाजिक परिवर्तन के कारण

परिवर्तन होते हैं। जहाँ परम्परागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं पर पुरुषों का सीधा नियंत्रण था, वर्तमान प्रगतिशील समाज में महिलाओं पर अधिकांश नियंत्रण अप्रत्यक्ष हो गया है और अधिक हिंसक और शोषक परंपराओं को समाप्त कर दिया गया है।

लेकिन फिर भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था परिवार में एक महिला की जीवन शैली को किस हद तक नियंत्रित करती है, यह हम इन तथ्यों से समझ सकते हैं कि लड़की क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किस स्कूल या विश्वविद्यालय में पढ़ेगी, कौन सा विषय वह अध्ययन करेगी। परिवार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था सभी निर्णय लेती है कि वह घर से बाहर पढ़ाई कर पाएगी या नहीं, वह किस प्रकार का जीवन चुनेगी और किस वर्ग, जाति या संप्रदाय से चुनेगी। पिता, पति या भाई का निर्णय सर्वोपरि होता है।

गार्डा लर्नर का कहना है कि पुरुष अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए पितृसत्तात्मक नियम बनाता है, लेकिन महिलाएं उसके परिवार और समाज को विनियमित करने का मुख्य कार्य करती हैं। महिलाएं पितृसत्ता को जीवित रहने में मदद करती हैं, क्योंकि वह पुरुष वर्चस्व की विचारधाराओं को आत्मसात करके इसके लिए अपनी सहमति देती है। जो महिलाएं पितृसत्ता के नियम-परंपराओं के अनुसार अपनी जीवन शैली का संचालन करती हैं और उसे समाजीकरण द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है; लेकिन अगर कोई महिला इन रूढ़िवादी और शोषक परंपराओं को स्वीकार करने से इनकार करती है और विरोध करती है, तो उसे कुटिल व्यवहार का दोषी ठहराया जाता है और साथ ही समाज उसे कुलक्षिणी और सामाजिक अपराधी के रूप में देखता है।

महिला मनोविज्ञान में परिवार की भूमिका

बच्चों में अपने माता-पिता, भाई-बहन, पड़ोसियों और अन्य प्राथमिक रिश्तेदारों के व्यवहार और कार्यों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। समाजीकरण के इन माध्यमों से उनमें सोच, समझ और व्यवहार की समझ विकसित होती है। कूली का स्व-दर्पण-दर्शन का सिद्धांत यह भी सिद्ध करता है कि जिस प्रकार परिवार और समाज बच्चे के साथ व्यवहार करता है और उसे समझता है, बच्चा भी अपने बारे में और परिवार और समाज द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वही समझने लगता है। और व्यवहार के आधार पर उसके व्यवहार और कार्यों को निर्धारित करता है।

भारतीय सहित सभी समाजों में, यह लिंग आधारित असमानता और रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था परिवार से ही शुरू होती है। लिंग समाजीकरण परिवार द्वारा ही बच्चे के समाजीकरण के क्रम में किया जाता है। इस समाजीकरण की कई गतिविधियाँ अनजाने और पारंपरिक रूप से की जाती हैं। बच्चे के जन्म के बाद उसे खिलौने देने से लेकर कपड़े चुनने और पहनने तक, शालीनता से बात करने, घर के अंदर और बाहर लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका आदि लिंग भेदभाव के आधार पर निर्धारित और सामाजिक किए जाते हैं।

बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्त्री घर की चारदीवारी में रहकर परिवार की सेवा करेगी और पुरुष घर के बाहर का काम देखेगा, पैसा कमाएगा, और उसके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्ति और शक्ति होगी। और संपत्ति पर उसका ही अधिकार होगा। यदि बच्चा कभी भी यह जानने की उत्सुकता व्यक्त करता है कि मेरी माँ और बहन मेरे पिता या भाई की तरह व्यवहार और व्यवहार क्यों नहीं कर सकते हैं, तो परिवार के सदस्य को पता चलता है कि वह महिला है, कमजोर है, विकलांग है, वह नहीं कर सकती।

लिंग समस्याओं में धर्म की भूमिका

आज भी भारतीय समाज में धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि लोग अपने अधिकांश कार्यों और व्यवहार को धर्म के नियमों और परंपराओं के अनुसार ही करते हैं। चूंकि धर्म पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए धर्मों के विभिन्न आयामों में पुरुषों को ऊपर और महिलाओं को अधीनता की स्थिति में रखा गया है।

हमारे धर्म और संस्कृति में इतने षडयंत्रकारी कानून बने हैं, जो सदियों से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से विकलांग बनाने का काम करते आ रहे हैं। प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे मनुष्य गाय, घोड़ी, ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी और दासी आदि की देखभाल करता है; उसी तरह, उसे महिला की देखभाल और नियंत्रण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए; अन्यथा, यदि वह लापरवाह है, तो वह दोनों कुलों को कलंकित कर सकती है। अर्थात् स्त्री को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो वह दोषों की गठरी हो, जिसे अत्याचार या पशुवत व्यवहार से ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। इंसान को समझने की बात तो दूर थी।

उपवास हमारी संस्कृति में त्योहारों के जाल की तरह है। महिलाएं घर के पुरुषों के लिए पति-भाई आदि कई व्रत रखती हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा कोई व्रत नहीं है, जिसमें पुरुष महिलाओं की सुख-समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्रत रखते हों। करवाचौथ व्रत का उपहास उड़ाते हुए मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं कि महिलाएं चंद्रमा का उल्लेख करती हैं, जिसे खुरदरा और ऑक्सीजन रहित और जीवन रहित ग्रह कहा जाता है; उन्हें अर्ध्य पूजा समर्पित करके, वह अपने पति के लिए शाश्वत श्वास का वरदान मांगती है।

इन सभी रूढ़ियों से लड़ने और उन्हें तर्कसंगत रूप से खारिज करने में पुरुषों की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन अधिकांश शिक्षित और उच्च शिक्षित महिलाएं भी इस ब्राह्मणवादी और मनुवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पुरजोर विरोध नहीं करती हैं। यदि इनका विरोध होता है तो यह केवल कॉपी-किताबों और व्याख्यान-भाषणों तक ही सीमित है। असल जिंदगी में वह कभी उतरते नहीं हैं। वह चूड़ियां, बिंदिया, मंगलसूत्र और सिंदूर आदि पहनकर करवाचैथ जैसे व्रत और अनुष्ठान भी करती हैं और हमारी लड़कियों को आगे भी ऐसा व्यवहार करने के लिए सामाजिक बनाती हैं।

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना होने के कारण, पितृसत्ता महिलाओं के सभी प्रमुख निर्णयों को गहराई से प्रभावित और परिवर्तित करती है। आज के तथाकथित आधुनिक और उत्तर-आधुनिक भारतीय समाज में भी लड़कियों को घर से बाहर सामाजिक संबंध बनाने और सामाजिक मेलजोल करने, सोशल साइट्स पर दोस्त बनाने, अपनी पसंद के कपड़े पहनने, किसी भी स्थान पर बिना किसी रोक-टोक के घूमने की आवश्यकता होती है। आजादी नहीं मिली। महिलाओं को अपना पेशा चुनने और अपना जीवन साथी चुनने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार लगभग नगण्य है। स्त्री कामुकता को अपनी संपत्ति मानते हुए, पितृसत्तात्मक मानसिकता के लोग अभी भी महिलाओं को यौन लोलुपता, कुललक्ष्मी, जब वे अपनी पसंद का जीवन साथी चुनते हैं और यदि महिला अपनी जाति या संप्रदाय से बाहर शादी करने का फैसला करती है, के रूप में मानते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं। या फिर कोई जीवन साथी चुन लिया जाता है तो उसकी ऑनर किलिंग (सम्मान बचाने के लिए की गई हत्या) भी कर दी जाती है।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती है क्योंकि उन्हें भविष्य में ही चूल्हा-चूल्हा करना है, लेकिन घर और बाहर पैसा कमाने के बड़े फैसले पति को ही लेने पड़ते हैं; तो लड़की पर पैसे क्यों बर्बाद करें? ग्रामीण लोगों से बात करने पर कई बार ये बात भी सामने आती है कि वो आज भी लड़कियों को पराया पैसा समझते हैं. इसलिए वे जानबूझकर अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कपड़े और अन्य जरूरतों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं और न ही प्यार, स्नेह और ध्यान देते हैं।

निष्कर्ष

लैंगिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करना केवल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज की दो सबसे मजबूत संस्थाओं - परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है। लैंगिक समानता का धागा श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा हुआ है, चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरियों की गारंटी देना। सरकारी क्षेत्र में लागू होने वाले मातृत्व अवकाश के कानूनों को निजी और असंगठित

क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता की बेड़ियों से मुक्त किया जा सकता है।

References

- Desai, S. (1994). Gender inequalities and demographic behavior. *India, New York*, *16*.
- Jha, P., & Nagar, N. (2015). A study of gender inequality in India. *The International Journal of Indian Psychology*, *2*(3), 46-53.
- Katiyar, S. P. (2016). Gender disparity in literacy in India. *Social Change*, *46*(1), 46-69.
- Kaul, R. (2015). Gender Inequality: Challenges of educating the girl child. *Social Change*, *45*(2), 224-233.
- Kumari, V. (2014). *Problems and challenges faced by urban working women in India* (Doctoral dissertation).
- Shastri, A. (2014). Gender inequality and women discrimination. *IOSR Journal of Humanities and social science*, *19*(11), 27-30.